



कर्लू पक्षी को विलुप्ति से बचाने का एक नया प्रयास शुरू हुआ है वेल्स में। इस जलपक्षी का वेल्स के लोकसाहित्य तथा संस्कृति में स्थान बहुत महत्वपूर्ण व दिल के करीब है। इस पक्षी की "कॉल" को बसंत के आगमन का सूचक माना जाता है। तथापि, इन वेडिंग बर्ड्स की संख्या घटकर इतनी कम हो गई है कि, इनको विलुप्ति से बचाने के लिए एक बहुत बड़ी योजना बनाई गई है, जिसमें कई संरक्षण समूह, कृषि समुदाय तथा वैल्स सरकार शामिल हैं। देश में इस समय अनुमानतः 400 प्रजनन करने वाले जोड़े ही बचे हैं। इतना ही नहीं, माना जा रहा है कि यह संख्या भी छः प्रतिशत प्रति वर्ष की रफ्तार से घट रही है। इसका भी वही चिरपरिचित कारण है, आवास का विनाश। इसके अलावा लोमड़ी व कौओं द्वारा इनके चूजों का भक्षण भी एक बड़ा खतरा है। इनके संरक्षण के लिए बनाई गई दस वर्षीय योजना के तहत, उन स्थानों को चिन्हित किया जाएगा जहाँ कर्लू सर्वाइव करते हैं तथा लक्ष्य बनाकर संरक्षण के तरीके शुरू किए जाएंगे, जैसे, घास व अजोत भूमि का अधिक प्रभावी प्रबंधन। नैशनल रिसोर्सेज वेल्स संगठन की चीफ एग्जिक्यूटिव, क्लैर पिलमैन ने कहा, "जब मैं बच्ची थी तब हमारे परिवार के फार्म पर ये पक्षी नियमित रूप से आते थे। हमने इन पर कभी ज्यादा ध्यान नहीं दिया। परन्तु बसंत के अग्रदूत इन पक्षियों की संख्या में भारी गिरावट आई है। वेल्स की पक्षी संरक्षण प्राथमिकताओं में ये पक्षी सबसे ऊपर हैं।"

मुसलमानों को लुभाने के प्रयास में भाजपा ने एस.पी., बी.एस.पी. व कांग्रेस को पीछे छोड़ा

पसमन्दा मुसलमानों के लिये "हुनर हाट" आयोजित किये गये हैं, गोरखपुर, बनारस आदि शहरों में

—श्रीनन्द झा—
—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—
नई दिल्ली, 24 नवम्बर। स्वीकृत राजनैतिक मान्यताओं के बीच एक दृढ़ विचार यह है कि भाजपा का मुस्लिम वोट बैंक से केवल इतना ही सरोकार है कि वह इनके जरिये बहुसंख्यक हिन्दुओं में पार्टी के पक्के जनाधार को एकजुट करती है।

चुनावधीन उत्तर प्रदेश में घटित हो रही गतिविधियाँ इसका संकेत हैं। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस ए.ए.आई.एम.आई.एम. के नेताओं से उलट भाजपा के प्रचार-प्रबंधक प्री शिंदत एवं सोच के साथ "पसमन्दा मुस्लिमों तक पहुँचे हैं। विभिन्न स्थानों, जिनमें गोरखपुर तथा वाराणसी भी शामिल हैं, पर पसमन्दा मुसलमानों के लिये "हुनर हाट" तथा दस्तकार-शिविर तथा ऐसे ही अन्य शिविर लगाये गये हैं, जहाँ शिल्पकारों तथा कारीगरों को 1500 ₹. की

■ इन कारीगरों को पन्द्रह सौ रूपये की आर्थिक मदद प्रदान की गई है इन हाटों में।

■ चार पसमन्दा मुसलमानों को राज्य के कुछ बोर्ड व कॉरपोरेशन में मनोनीत भी किया गया है।

■ 2005 में जद (यू) नेता अली अनवर अंसारी ने लालू की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल का साथ छोड़ कर नीतीश के जद (यू) को समर्थन दिया, जिससे लालू की पार्टी चुनाव हार गयी थी, क्योंकि उनके मुस्लिम-यादव कॉम्बिनेशन में भी दरारें आ गयी थीं, जो अभी तक पूरी तरह से भरी नहीं जा सकी हैं।

वित्तीय सहायता दी जा रही है। भाजपा की योजना है कि इसी प्रकार के आयोजन राज्य के सभी जिलों में किये जायेंगे।

हाल ही के महीनों में कम से कम चार पसमन्दा मुस्लिम इस दिशा में विचार-विमर्श करने की दृष्टि से मनोनीत किये गये हैं। ये हैं— डॉ.

के लिये उनका समर्थन माँगने के लिये पसमन्दाओं के बीच पहुँच रहे हैं तथा इस वास्ते वे ग्रामीण उत्तर प्रदेश के गली-मौहल्लों, सड़कों और पगडंडियों की धूल फौंक रहे हैं।

1998, जब जनता दल (यूनाइटेड) के पूर्व नेता अली अनवर अंसारी ने "ऑल इंडिया पसमन्दा मुस्लिम मरकज" की लॉन्चिंग की थी, से पहले "पसमन्दा" शब्द अस्तित्व में नहीं था।

2005 के बिहार विधानसभा चुनावों में जब पसमन्दा मुसलमानों के कुछ वर्ग राष्ट्रीय जनता दल से अलग होकर नीतीश कुमार के जे.डी. (यू.) के समर्थन में आ गये थे, तो लालू प्रसाद न केवल चुनाव हार गये थे, बल्कि उनके जाने-माने मुस्लिम-यादव (एम.वाई.) जनाधार में ऐसी दरारें पड़ गई थीं, जो आज तक नहीं भर पाई हैं। भाजपा बिहार पसमन्दा मंडल को उत्तर प्रदेश में दोहराना चाहती है।

कृषि कानून फेल क्यों हुए?

—जाल खंबाता—
—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—
नई दिल्ली, 24 नवम्बर। तीन विवादास्पद कृषि कानूनों को रद्द किए

■ जाने-माने एक्टिविस्ट वरुण मित्रा के अनुसार, क्योंकि "कृषि सुधार" कार्यक्रम लागू करते समय संसदीय प्रणाली की पूरी अवहेलना की गयी, अतः दादागिरी का रास्ता अपनाने से पूरी नीति ही फेल हो गयी है, क्योंकि जितना महत्वपूर्ण सुधार कार्यक्रम है, उतना ही महत्व उसके क्रियान्वयन के लिये अन्यायी गयी प्रणाली का भी है।

जाने पर वरुण मित्रा कहते हैं कि अपेक्षित परिणाम के बजाए, अपनाए (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी ममता बनर्जी से मिले, उनकी प्रशंसा के कसीदे गाये

सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा, वे ममता बनर्जी को जे.पी., मॉरारजी देसाई, राजीव गांधी, चन्द्रशेखर और पी.वी. नरसिम्हा राव की श्रेणी में आंकते हैं

—जाल खंबाता—
—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—
नई दिल्ली, 24 नवम्बर। कभी इस पार्टी में तो कभी उस पार्टी में जाने के लिए मशहूर भाजपा सांसद डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी 82 वर्ष की उम्र में भी अपनी राजनैतिक हस्तियों से बाज नहीं आ रहे हैं।

बुधवार को अपराह्न 3.30 बजे, उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री तथा तुणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी के साथ, उनके सांसद भतीजे अभिषेक बनर्जी के सरकारी निवास पर, मीटिंग करके भाजपा में सनसनी फैला दी।

कोई नहीं जानता है कि डॉ. स्वामी की ममता के साथ हुई मीटिंग तथा एक दिन पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल धनकडू के साथ हुई मीटिंग का परिणाम क्या होगा, लेकिन हर व्यक्ति को यह लगा जरूर रहा है कि वे प्रधानमंत्री मोदी

■ डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी का राज्यसभा में कार्यकाल 2022 में समाप्त हो रहा है तथा उनके ममता समर्थक के नये अवतार का कारण क्या एक बार और राज्यसभा का सदस्य बनने की इच्छा से प्रेरित है?

■ पर, भाजपा फिर भी आशंकित है, उनके इस आचरण से, क्योंकि उन्होंने जयललिता व सोनिया गांधी की मुलाकात कराकर वाजपेयी सरकार को गिराने का इंतजाम करवाया था।

■ यहां यह भी उल्लेखनीय है कि, ममता बनर्जी से मिलने से एक दिन पहले उन्होंने राज्यपाल धनखड़ से भी मुलाकात की थी।

के लिये संकट पैदा कर सकते हैं क्योंकि मोदी ने उनको दरकिनार कर रखा है तथा उन्हें भाजपा की नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी तक से हटा दिया है।

उनकी आगे की संभावनाओं को लेकर अटकलें और अनुमान जरूर

लगाये जा रहे हैं क्योंकि यही डॉ. स्वामी थे, जिन्होंने स्वर्गीय जयललिता की सोनिया गांधी के साथ मीटिंग कराके, वाजपेयी सरकार गिरा दी थी।

डॉ. स्वामी के एक सहयोगी— (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

चालीस लाख रूपए का हर्जाना

जयपुर, 24 नवंबर। राज्य उपभोक्ता आयोग ने इलाज में लापरवाही के कारण हुई एक महिला की मौत के मामले में अलवर के विजय हॉस्पिटल और डॉ. विजयपाल सिंह पर 40 लाख 42 हजार रूपए का हर्जाना लगाया है। इसके साथ ही आयोग ने परिवार व्यय के तौर पर 25 हजार रूपए अतिरिक्त अदा करने के आदेश देते हुए परिवार दायर करने की तिथि से हर्जाना राशि पर नौ फीसदी ब्याज भी देने को कहा है। यह आदेश विक्रम सिंह व अन्य के परिवार पर दिया गया। परिवार में विक्रम सिंह ने कहा कि उसकी पत्नी कुसुम

■ राज्य उपभोक्ता आयोग ने यह हर्जाना अलवर के विजय हॉस्पिटल व डॉ. विजयपाल सिंह पर ठोका, इलाज में लापरवाही बरतने के मसले पर।

के पेट में दर्द होने पर 7 सितंबर 2015 को डॉ. विजयपाल को दिखाया था और चिकित्सक ने पेट में पथरी बताते हुए ऑपरेशन की बात कही थी।

सर्जन चिकित्सक ने मरीज को भूखे पेट स्वयं ही एनेस्थीसिया दे दिया, जबकि वह एनेस्थीसिया विशेषज्ञ नहीं था। वहीं भूखे पेट रहने के चलते मरीज की हालत बिगड़ गई। इसके अलावा अस्पताल में आईसीयू की सुविधा भी नहीं थी, जिसके चलते अंतिम क्षणों में मरीज को दूसरे अस्पताल भेजा गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। परिवार में कहा गया कि चिकित्सक को लापरवाही के चलते मरीज की मौत हुई है।

क्या मंत्री का दर्जा दिए बिना भी मुख्यमंत्री के सलाहकारों का पद लाभ का माना जा सकता है?

क्या इसी कारण संसदीय सचिवों की नियुक्ति को अटका कर रखा गया है!

जयपुर, 24 नवम्बर (का.प्र.)। राजस्थान में मंत्रिमंडल में पुनर्गठन के बाद 6 विधायकों को सलाहकार नियुक्त करने का मामला भाजपा द्वारा राज्यपाल के समक्ष उठाए जाने और इस पर राज्यपाल की के सरकार से जवाब माँगने के बाद संसदीय सचिव के मनोनयन का मामला अटक सकता है। कारण यह है कि भाजपा ने इस मामले को पोस्ट ऑफ प्रॉफिट बताते हुए नियुक्तियों को असंवैधानिक बताया है और कहा है कि इसे कोर्ट में चुनौती दी जाएगी।

दरअसल राजस्थान से पहले पंजाब में भी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने

मुख्यमंत्री रहते हुए विधायकों को सलाहकार नियुक्त किया था। और साथ ही कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी दिया था। इस कारण से इसे लाभ के पद मानते हुए विपक्षी दलों ने आपत्ति की थी कि ऐसा करने से संवैधानिक अधिकारों का हनन हुआ है, क्योंकि संसद में पारित कानून के अनुरूप 15 प्रतिशत विधायक ही मंत्री पद का दर्जा पा सकते हैं। हालांकि राजस्थान में अभी तक 6 सलाहकारों को कैबिनेट या राज्य मंत्री का दर्जा नहीं दिया गया है। इसलिए राज्य सरकार यह कहकर इस मामले से अलग हो सकती है कि सिर्फ सलाहकार नियुक्त किए गए

■ इसलिए ही अभी तक सलाहकारों को किसी तरह का दर्जा नहीं दिया गया है?

हैं, इन्हें किसी तरह का दर्जा नहीं दिया है और इसलिए ऐसे में यह लाभ के पद नहीं माने जा सकते हैं। भाजपा की ओर से सलाहकारों की नियुक्ति पर विरोध जवाने के बाद में संसदीय सचिवों को लेकर देखा होगा कि कांग्रेस सरकार क्या रुख अपनाती है, क्योंकि दिल्ली में केजरीवाल सरकार द्वारा अतिरिक्त संख्या में

संसदीय सचिवों की नियुक्ति का मामला न्यायालय में गया था और सभी विधायकों को सदस्यता रह कर गई थी। अब यह देखा महत्वपूर्ण होगा कि आने वाले दिनों में सरकार मुख्यमंत्री के सलाहकार बनाए गए 6 विधायकों और संसदीय सचिवों को लेकर क्या रुख अपनाती है। वहीं इस विरोध के बीच सलाहकार विधायकों के साथ में मुख्यमंत्री गुरुवार को बैठक करने वाले हैं।

उल्लेखनीय है कि उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के पत्र में संविधान के अनुच्छेद 164 (1), अनुच्छेद 191 (1) और अनुच्छेद 246 का उदाहरण

देते हुए मुख्यमंत्री सलाहकार या संसदीय सचिवों की नियुक्ति को असंवैधानिक बताया गया था। साथ ही यह तक कहा था कि यदि जरूरत पड़ी तो भाजपा इस मामले में कोर्ट की शरण तक ले सकती है। फिलहाल, राठौड़ का पत्र राजभवन पहुंचने के बाद राजभवन के स्तर पर इस मामले में मुख्य सचिव से जानकारी मांगी गई है।

उल्लेखनीय है कि विधायक डॉ. जितेंद्र सिंह, बाबूलाल नागर, राजकुमार शर्मा, संयम लोढा, रामकेश मीणा और दानिश अबरार को रविवार को मुख्यमंत्री के सलाहकार के रूप में नियुक्ति दी गई थी।

संसद के लिये रणनीति

—जाल खंबाता—
—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—
नई दिल्ली, 24 नवम्बर। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अगले सप्ताह सोमवार से शुरू हो रहे संसद सत्र के लिए रणनीति बनाने को लेकर यहां गुरुवार को एक मीटिंग बुलाई है।

हाल ही अपनी विदेश यात्रा से लौटे पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, सदन में पार्टी के विपक्ष एवं पटल के नेता उन

■ सोनिया गांधी ने गुरुवार को राहुल गांधी, कांग्रेस की ओर से नियुक्त विपक्ष के नेताओं की बैठक आहूत की, कांग्रेस का रुख तय करने के लिये, विशेषकर प्र.मंत्री द्वारा एक राष्ट्रीय पैनल गठित करने के प्रस्ताव पर, जो कृषि नीति में सुधार लाने पर सुझाव देगा।

मुद्दों पर विचार-विमर्श करेंगे, जिन पर पार्टी को 23 दिसम्बर तक चलने वाले संसद सत्र के दौरान ध्यान केंद्रित करना है।

पार्टी को यह निर्णय करना है कि प्रधानमंत्री द्वारा कृषि सुधारों पर गौर करने के लिए एक पैनल गठित करने का प्रस्ताव तत्पश्चात् को राष्ट्रीय प्रसारण में दिए जाने पर किस (शेष अंतिम पृष्ठ पर)